"Minor Veterinary Services"

हरियाणा सरकार

पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 जुलाई, 2011

संख्या का०आ० 58/के०अ० 52/1984/धा० 30/2011.—भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52), की धारा 30 के खण्ड (ख) के परन्तुक की व्याख्या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, पशुपालन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 105/के०अ० 52/1984/धा० 30/94, दिनांक 25 नवम्बर, 1994 का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित पशु-चिकित्सा सेवाओं को उक्त व्याख्या के प्रयोजन के लिए "लघु पशु-चिकित्सा सेवाओं" के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :—

1. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अधीन पंजीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी द्वारा पूर्णत: यथा विहित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची एच० में यथा विनिर्दिष्ट औषधियों का प्रयोग या अवचारण।
2. औषधियों/रोगहर सामग्रियों का मिश्रण तथा वितरण करना।
3. दर्द एवं ज्वर के मामलों में दर्द निरोधक एवं ज्वर रोधी दवाईयों को प्रारम्भिक चिकित्सा के रूप में मुख द्वारा दिलाना।
4. बंद विधि द्वारा सांडों का बधियाकरण, बछड़ों को सींग रहित करना तथा पक्षियों की चोंच को हटाना।
5. पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी को शल्य/मादा प्रसव पीड़ा सम्बन्धी कार्य में मदद करना।
6. पशुओं में रोग निरोधक टीकाकरण।
7. सामान्य जख्म वाली बीमारियों जैसे घाव, मवाद भरा फोड़ा, बाह्य/ऊपरी रक्त स्त्राव, जलने से हुए जख्म आदि को सम्भालना।
8. मुँह-खुर, थनैला, स्टोमयेड्टिस इत्यादि रोगों में मुँह, खुर, पैर, थन इत्यादि को कीटाणुनाशक/औषधीय सामग्री से धोना।
9. रक्त, सीरम, मूत्र, मल, सीमन, दूध और अन्य नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के लिये एकत्र करना तथा भेजना।
10. संक्रामक रोगों की निगरानी, प्रयोगशाला जांच और रोग प्रकोप नियंत्रण उपायों सहित अन्य सम्बन्धित तकनीकी कार्यों में मदद करना।

11. रोग सम्बन्धित आंकड़ों का एकत्रीकरण, संग्रहण, रख-रखाव तथा रिपोर्ट करना।

12. आपात मामलों में प्रारम्भिक चिकित्सा प्रदान करना; अर्थात् :—

(i) आकाशीय बिजली गिरना।

(ii) धूप-आघात/शीत क्षत।

(iii) विद्युत आघात।

(iv) विषकरण।

(v) साँप काटना।

(vi) डूबना।

(vii) योनि/बच्चादानी का बाहर निकलना।

(viii) जेर न गिरना।

(ix) ब्याने में तकलीफ।

(x) नवजात की नाभि नलिका पर दवाई लगाना।

(xi) साधारण प्रकार की हड्डी का टूटना।

(xii) चोट/संक्रमण की दशा में पूंछ काटना।

(xiii) बदहजमी।

(xiv) भूख न लगना।

(xv) अफारा/धुआँना।

(xvi) सींग की चोट।

(xvii) वन्य जीव से हमला।

(xviii) प्राकृतिक आपदा।

(xix) दुर्घटना इत्यादि।

हरदीप कुमार,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग।